

क्र.साप्रवि/मु. म.व्य. (तां.आ.)/मपुक/

№ 21153

दिनांक: - 5 JUL 2011

कार्यालयीन आदेश क्र. मपुक - २०

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कर्मचारी सेवाविनियम २००५ अनुसूची एक मधील अनुक्रमांक ए + बी, (दोन) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार संचालक (संचलन), संचालक (प्रकल्प) व संचालक (वित्त) यांच्याशी विचारविनिमय करून व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण यांनी खालील बाबीस मंजूरी दिली आहे.

- नाशिक परिमंडलाच्या अधिपत्याखालील अहमदनगर मंडलाच्या कार्यक्षेत्रातील विविध विभागांतर्गत नव्याने कार्यान्वित झालेल्या खालील सोळा (१६) ३३ के.व्ही. उपकेंद्राच्या आस्थापनेवर खालील पदे नव्याने कायमस्वरूपी निर्माण करणे.
- त्यासाठी वार्षिक अंदाजे रुपये १.४३ कोटी (रु. एक कोटी त्रेंचाळीस लाख) इतका आर्थिक भार सोसणे.

| अ.क्र. | मंडल/ विभागाचे नाव | उपकेंद्राचे नाव | आवश्यक पदे | | | एकूण |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------|
| | | | उप यंत्रचालक (कारागिर 'अ' मि.वा.) | सहाय्यक यंत्रचालक (कारागिर 'ब' मि.वा.) | कनिष्ठ यंत्रचालक (कारागिर 'क' मि.वा.) | |
| १ | २ | ३ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| अहमदनगर मंडल | | | | | | |
| १ | अहमदनगर शहर तथा ग्रामिण विभाग | १) हिवरे बाजार उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | २) पळसपूर उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | ३) खानापूर उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| २ | संगमनेर विभाग | ४) थंसगाव उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | ५) लिंगदेव उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | ६) रहीमपूर उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | ७) पेर्मागरी उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | ८) आश्वी नवीन उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | ९) खली उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | १०) करंजी उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | ११) घुलेवाडी उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---|---|----|----|
| ३ | कर्मत विभाग | १२) श्रीगोदा उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | १३) हिंगणी उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | १४) मढेवडगाव उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | | १५) राजुरी उपकेंद्र | १ | ० | ३ | ४ |
| | | १६) कोंभळी उपकेंद्र | ० | १ | ३ | ४ |
| | एकूण | १६ उपकेंद्रे | ७ | ९ | ४८ | ६४ |

सदर आदेश कंपनीच्या इन्ट्रानेटवर उपलब्ध असून यांची हार्ड प्रत कोणत्याही कार्यालयास पाठविली जाणार नाही.


मुख्य महाव्यवस्थापक (तां/आ)